न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 251 / 2021(2021 / 524)

1. अखिलेश पुत्र श्री धीसालाल कुम्हार।
2. शरदकुमार पुत्र श्री धीसालाल कुम्हार।
3. नाबालिग शिवम् पुत्र अखिलेश जरिये संरक्षक पिता
   जाति कुम्हार निवासी आलोली तहसील सावर जिला अजमेर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. जिताराम पुत्र श्री जगदीश कुमावत।
2. पप्पूलाल पुत्र श्री जगदीश कुमावत।
   निवासी बड़ला हाल निवासी आलोली तहसील सावर जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकारर जरिये श्रीमान तहसीलदार सावर जिला अजमेर।

——अप्रार्थीगण

उपस्थितः—

श्री भंवरलाल शर्मा – वकील प्रार्थी
श्री सीताराम कुमावत—वकील अप्रार्थी 2व 3
पेरोकार सरकार(जरीये तहसीलदार सावर) – अप्रार्थी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राज. काश्तकारी अधिनियम

आदेश

दिनांक 16.5.2022

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। प्रकरण के संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राज. काश्तकारी अधिनियम कर निवेदन किया यह कि प्रार्थीगण की खातेदारी ग्राम आलोली तहसील सावर की निम्नानुसार है।

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
150—217	519	0.10	बारानी 2
	520	0.38	बारानी 2
	521	0.39	बारानी 2
	530	1.60	बारानी 2

आराजी खसरा नंबर 519,520,521,530 जो कि प्रार्थीगण की है जिसमे आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 523,524 की मेड़ जो [illegible]लाल निवासी आलोली की आराजीयात मे से होता हुआ प्रार्थीगण की आराजीयात तक पहुंचता है उक्त रास्ता कदीमी है

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.26 14:57:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

तथा लगभग 20 फिट चौड़ा है तथा इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण की आराजी में जाने का कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण को प्रार्थी जिताराम एवं पप्पूलाल निवासी आलोली द्वारा उक्त रास्ते पर आने जाने में रूकावट पैदा की जा रही है तथा बार–बार कहे जाने पर भी सहमती नही बन रही है तथा आने जाने के रास्ते में तारबन्दी कर बाधा उत्पन्न कर रूकावट जारी है। आवश्यकता आत्यन्तिक है उक्त विद्यमान मार्ग को राजस्व रिकोर्ड में रास्ता के रूप में अभिलेखित किया जावे तथा इस हेतु प्रार्थीगण नियमानुसार राशि जमा करवाने हेतु तैयार है जिसे स्वीकार फरमाने कि प्रार्थना कि है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब पेश नही किये जाने से जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या–3 जरिये तहसीलदार सावर द्वारा जवाब/मौका रिपोर्ट उनके पत्र कमांक भू. आ/2022/2743 दिनांक 10.3.2022 द्वारा रिपोर्ट पेश कि गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार सावर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट निम्नानुसार है:–

1. ग्राम आलोली की जमाबंदी सवंत् 2075 स्थायी के खसरा नंबर 519 रकबा 0.10, 520 रकबा 0.38, 521 रकबा 0.39, 530 रकबा 1.60 किता 4 रकबा 2.47 खातेदार अखलेश कुमार पुत्र घीसालाल हिस्सा 49/494, शरदकुमार पुत्र घीसालाल हिस्सा 1/2, शिवम पुत्र अखिलेश हिस्सा 99/247 समस्त जाति कुम्हार खातेदार दर्ज है।
2. ग्राम आलोली की जमाबंदी संवत् 2075 स्थायी के खसरा नंबर 523 रकबा 0.12, 524 रकबा 0.13 किस्म बारानी 2 खातेदार जिताराम पुत्र जगदीश हिस्सा 1/2 पप्पूलाल पुत्र जगदीश 1/2 कुमावत सा.देह खातेदार दर्ज है।
3. ग्राम आलोली के खसरा नंबर 487 रकबा 1.31हैक्टर किस्म गै.मु.रास्ता से पूर्व की तरफ सांकरिया व आलोली सीमा पर मौके पर खसरा नंबर 524 से लगता हुआ पूर्व की तरफ रास्ता आ रहा है। व खातेदार ने उक्त रास्ता के लगवा खसरा नंबर 524, 523 में से खसरा नंबर 530,521,520,519 में जाने के लिए रास्ता बताया है। व उक्त रास्ते में खसरा नंबर 524 व 523 में कमश 4x36=144वर्गमीटर, 4x28=112वर्गमीटर, कुल 144+112=256वर्गमीटर का रास्ता है।

वरवक्त सुनवाई प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया तथा उपलब्ध मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकारी करने हेतु निवेदन किया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों एंव मोका रिपोर्ट पर गहनता से मनन किया। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नंबर 519, 520, 521, 530 में जाने के लिए निकटतम रास्ता ग्राम आलोली के खसरा नंबर 487 रकबा 1.31हैक्टर किस्म गै.मु.रास्ता से पूर्व की तरफ सांकरिया व आलोली सीमा पर मौके पर खसरा नंबर 524 से लगता हुआ पूर्व की तरफ रास्ता आ रहा है। व खातेदार ने उक्त रास्ता के लगवा खसरा नंबर 524, 523 में से खसरा नंबर 530,521,520,519 में जाने के लिए निकटतम रास्ता जो मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित नजरी नक्शा में लाल स्याही से अंकन है

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.03.26 14:17:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

निकटतम प्रतित होता है। अतः विवेचन के आधार अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 251ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि 530,521,520,519 में जाने के लिए प्रस्तावित रास्ता ग्राम आलोली के खसरा नंबर 487 रकबा 1.31हैक्टर किस्म गै.मु.रास्ता से पूर्व की तरफ सांकरिया व आलोली सीमा पर मौके पर खसरा नंबर 524 से लगता हुआ पूर्व की तरफ रास्ता आ रहा है व खातेदार ने उक्त रास्ता के लगवा खसरा नंबर 524, 523 में से खसरा नंबर 530,521,520,519 में जाने के लिए निकटतम रास्ता है व उक्त रास्ते में खसरा नंबर 524 व 523 में से क्रमश 4x36=144वर्गमीटर, 4x28=112वर्गमीटर, कुल 144+112=256वर्गमीटर का सिवायचक सार्वजनिक गै.मु. रास्ते हेतु दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार सावर द्वारा प्रार्थीगण से उक्त रास्ते में उपयोग मे आयी भूमि की नियमानुसार वर्तमान डी.एल.सी रेट से बनी राशि की दूगूनी राशि प्रार्थीगण से वसूल कर अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 को जरिये सूचित करा राशि उपलब्ध करावे, अप्रार्थीगण द्वारा राशि प्राप्त नही करने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जाकर ग्राम आलोली के खसरा नंबर 530,521,520,519 में आने जाने के लिए रास्ता मौके पर्चे में वर्णितानुसार एंव नक्शाट्रेस में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार रास्ते के रूप में दर्ज एंव तरमीम की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.26 14:57:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner